07th August, 2023

GRIID organises workshop on legal provisions and RPwD act for parents

In view of the ongoing Silver Jubilee Celebrations of Government Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities (GRIID), Sector 31 C, Chandigarh, GRIID organized a workshop on legal provisions under National Trust Act and RPwD Act schemes and benefits in Chandigarh for parents of persons with intellectual disability (PwID) of GRIID special school.

Parents of about 140 PwID's participated in the workshop. Justice S D Anand, former judge of the Punjab and Haryana High Court was chief guest of the workshop. Justice Anand appreciated GRIID's initiative to organise workshop on such an interesting topic.

Dr. Jaswinder Kaur, Director-Principal GMCH, Sector 32 cum Director, GRIID, welcomed the Chief guest and the resource person of the workshop and felicitated them with mementoes. Dr. Priti Arun Joint Director, GRIID gave an overview of the 25 year journey of GRIID and appreciated the enthusiasm of the parents for this workshop.

Mr. U K Shukla, Former Program Director and Assistant Legal Advisor, National Trust, Delhi and Dr. Hemant Kumar Chandrachud from GRIID were the resource persons of the workshop. Mr. Shukla made a presentation on the provisions and legal issues for persons with disabilities under the National Trust Act, 1999. Dr. Chandrachud described about the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the facilities provided for the persons with disability by various departments of Chandigarh like Social Welfare, Women and Child Development Department, Transport Department, State Legal Services Authority, PGIMER, Government Medical College Hospital, Sector 32, Genetic Centre, GRIID etc. Parents' queries were answered in question and answer session. Parents felt enlightened by such workshops.

Mrs. Vandana Singh, Officiating Principal, proposed the vote of thanks at the end of the program. Dr. Reena Jain, Clinic Incharge; Dr. Ravi KM, Course Coordinator; Jaspal Sharma, Administrative officer; Anil Kumar, Sandeep Sharma, Opinder Kaur, Anjali Sharma etc. were also present in the workshop.

नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर कार्यशाला का आयोजन

दिव्यांग जगत @ चंडीगढ़

राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान (ग्रिड), सेक्टर 31 के रजत जयंती समारोह के अवसर पर सोमवार को विशेष विद्यालय के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के विशेष विद्यालय के करीब 140 बच्चों के माता-पिता ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस डी आनंद थे। जस्टिस आनंद ने ग्रिड के द्वारा इस तरह के दिलचस्प विषय पर कार्यशाला के आयोजन की सराहना की।

जीएमसीएच, सेक्टर 32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल सह संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर ने स्मृति चिन्ह के साथ कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं रिसोर्स पर्सन का स्वागत किया। संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने ग्रिड की 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख किया एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की।

नेशनल ट्रस्ट, दिल्ली के पूर्व कार्यक्रम निदेशक एवं असिस्टेंट लीगल एडवाइजर श्री यू के शुक्ला एवं ग्रिड से डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ इस कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन थे। श्री शुक्ला ने जहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत दिव्यांगों के लिए प्रावधानों एवं कानूनी मुद्दे विषय पर प्रस्तुति दी। वहीं, डॉ चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण, महिला एवं

बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पीजीआईएमईआर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सेक्टर 32, जेनेटिक सेंटर, ग्रिड इत्यादि के द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया। प्रश्नोत्तर सेशन में अभिभावकों की जिज्ञासाओं पर चर्चा की गई । कार्यक्रम के अंत में विशेष विद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या श्रीमती वंदना सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रिड के क्लीनिक इंचार्ज डॉ रीना जैन, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉ रवि केएम, प्रशासनिक अधिकारी जसपाल शर्मा, अनिल कुमार, संदीप शर्मा, ओपिंदर कौर, अंजलि शर्मा इत्यादि इस कार्यशाला में उपस्थित रहे।

नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर कार्यशाला आयोजित

चंडीगढ़। राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान (ग्रिड), सेक्टर 31 के रजत जयंती समारोह के अवसर पर विशेष विद्यालय के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के विशेष विद्यालय के करीब 140 बच्चों के माता-पिता ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस डी आनंद थे। जस्टिस आनंद ने ग्रिड के द्वारा इस तरह के दिलचस्प विषय पर कार्यशाला के आयोजन की सराहना की।

जी.एम.सी.एच., सैक्टर-32 के डायरैक्टर प्रिंसिपल सह संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर ने स्मृति चिन्ह के साथ कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं रिसोर्स पर्सन का स्वागत किया।

संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने ग्रिड की 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख किया एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की नैशनल ट्रस्ट, दिल्ली के पूर्व कार्यक्रम निदेशक एवं असिस्टैंट लीगल एडवाइजर यू.के. शुक्ला एवं ग्रिड से डॉ. हेमंत कुमार चंद्रचूड़ इस कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन थे। शुक्ला ने जहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत दिव्यांगों के लिए प्रावधानों एवं कानूनी मुद्दे विषय पर प्रस्तुति दी।

वहीं, डॉ. चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पी.जी.आई.एम.ई.आर., गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सैक्टर-32, जेनेटिक सैंटर, ग्रिड इत्यादि के द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया।

News Coverage

Justice S D Anand the Chief Guest lightening the lamp

Justice S D Anand addressing the audience

The chief guest felicitated with the memento

Mr U K Shukla speaking on the provisions and legal issues for persons with disabilities

Dr Hemant Chanderchur felicitated with the memento

Dr Hemant Chanderchur felicitated with the sapling

Participants of the workshop